न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–951/2026

(CNR–UPSK010025182026)

1. समीर पुत्र रशीद, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी–मंझरिया थाना– कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार .....विपक्षी

मु०अ०सं०–427/2026
धारा–305(a), 331(3), 317(2) बी०एन०एस०,
थाना–खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर।

दिनांक–25.06.2026–

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र थाना खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर के अपराध संख्या–427/2026, धारा–305(a), 331(3), 317(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्त **समीर** की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा कौशल्या देवी पत्नी श्री राजमन यादव ग्राम डिघआ बाईपास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर का निवासी है। प्रार्थिनी दिनांक 11.05.26 को करीब एक बजे दिन में सपरिवार अपने बहन का लड़का की शादी मे सामिल होने के लिए ग्राम छितौना थाना बेलघाट गोरखपुर चले गये थे। आज दिनांक 16.5.2026 को समय करीब पाँच बजे सपरिवार समेत घर वापस आये तो देखी मेन दरवाजा का ताला टूटा हुआ मिला और जब ऊपर फ़्लोर पर गये तो देखा की कमरे का ताला टूटा हुआ मीला तथा घर का सारा सामान बिखरा हुआ जब उसने देखा तो उसके बक्सा, आलमारी व ट्रन्क में रखा हुआ कीमती जेवरात व घर में रखा हुआ पैसा भी जो लगभग 90 हजार था वह गायब मिला। कुछ दिन पूर्व रोहित कुमार पुत्र अज्ञात जो उसके घर से 100 मिटर पहले किराये के मकान में रहते है, ने कुछ दिन पूर्व धमकी दिये थे के तुम लोगो को बारबाद कर देंगे और जान से मारने की धमकी भी दिये थे हम लोगो को पूरा विश्वास है कि रोहित कुमार द्वारा ही उसके घर में उसके गैर मौजूदगी में चोरी हुई है और सुरज पुत्र संदीप पर भी शंका है कि ये लोग मिल कर चोरी कराये हैं। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वह बेगुनाह है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को दिनांक 08.06.2026 को गलत तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। प्रार्थी ने न कोई चोरी किया और न ही प्रार्थी के पास से कोई चोरी की वस्तु बरामद हुई है। उसे मामले में रंजिशन फंसाया गया है। कथित घटना की प्राथमिकी काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी का मफरूरी का अंदेशा नही है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से विरोध किया गया है और कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

संपूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर सामान चोरी करने व उक्त सामान उसके पास से बरामद होने का आरोप है। पत्रावली के

Digitally signed by Dibyanand
Date: 2026.06.25 17:14:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कथित घटना में प्रार्थी/अभियुक्त नामित नहीं है, न ही अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया हैं। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार संत कबीर नगर में निरुद्ध है। अभियुक्त के ऊपर जो अभियोग लगाये गये वे अधिकतम सात साल के कारावास से दण्डनीय है।

सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन व अन्य (2021) SCC Online SC 922 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि जहां कोई अपराध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय हो वहां अभियुक्त को सामान्य रूप से जमानत दी जायेगी। प्रस्तुत वाद में अभियुक्त पर जो अभियोग है उसमें अधिकतम सात साल के कारावास से दण्डनीय है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस०सी०सी० 773 में दी गयी विधि–व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर अभिमत व्यक्त किये अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **समीर** का जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **पचास हजार रूपये** का **व्यक्तिगत बंधपत्र** व इतनी ही धनराशि के **दो प्रतिभू प्रस्तुत** करने तथा निम्नलिखित शर्तों के संबंध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी अभियुक्त विवेचना तथा विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण के दौरान साक्ष्य आने पर बिना किसी अपरिहार्य कारण कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
2. प्रार्थी अभियुक्त साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
3. अभियुक्त इस प्रकार के या अन्य किसी अपराध में सम्मिलित नहीं होगा।
4. यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है तो विचारण न्यायालय को कभी भी अभियुक्त की जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक–25.06.2026

(डा० दिव्यानन्द द्विवेदी)
[J.O. Code–UP01811]
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।